राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः 7(4)ग्रीष्मावकाश ठहराव/अकाद/आकाशि/2024/16436/

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— सत्र 2023—24 में ग्रीष्मावकाश के दौरान रोके गए कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के लाभ के संबंध में।

सन्दर्भः— विभाग के पत्रांक राजकाज नं. 6613441 दिनांक 14.04.2024 एवं 7755865 दिनांक 05.06.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2023—24 में ग्रीष्मावकाश के दौरान रोके गये कार्मिक का नाम, रोके जाने का कारण और प्रतिदिन उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण स्प्रेडशीट में भरवाया गया था व ई—डाक से उक्त सूचना चाही गयी थी।

उक्त सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अनेक महाविद्यालयों द्वारा स्प्रेडशीट में भरी सूचना व ई—डाक द्वारा प्रेषित सूचना में निम्न विसंगतिया पाई गयी है—

1. स्प्रेडशीट में व ई—डाक द्वारा भेजी गयी सूचना में कार्मिकों की संख्या भिन्न—भिन्न पायी गयी है,
2. विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा बार—बार संशोधित आदेश भिजवाये जा रहे है।
3. अनेक महाविद्यालयों द्वारा स्प्रेडशीट के कॉलम खाली छोडे गये है।
4. प्रोबेशन काल में कार्यरत कार्मिकों का नाम सम्मिलित किया गया है।
5. उक्त सूचना अन्तिम तिथि 10 जून 2024 के बाद भी लगातार ई—डाक द्वारा भिजवाई जा रही है।

उपर्युक्त कारणों से उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः उक्त के संबंध में दिनांक 23.08.2024 तक स्प्रेडशीट (Summer vacation's stay 2024) में रोके गये कार्मिकों का नाम व पदनाम, ग्रीष्मावकाश में रोकने की अवधि, रोके जाने का कारण आदि का विवरण पूर्व में भेजी गयी ई—डाक से मिलान कर पुनः भरें। स्प्रेडशीट अंग्रेजी में Times New Roman, Font Size 14 में ही भरें। जिन प्राचार्यों/कार्यवाहक प्राचार्यों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है या जिन्होंने एचआरडी शाखा में स्वीकृति के लिए भेज रखा है वे प्राचार्य अपने स्वंय के तथा प्रोबेशनर अधिकारी/कार्मिक के नाम इस स्प्रेडशीट में नहीं भरें।

स्प्रेडशीट (Summer vacation's stay 2024) व पूर्व में भेजी गई ई—डाक से मिलान होने पर उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर दिया जायेगा।

(अजय असवाल)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त/सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(अजय असवाल)
अतिरिक्त आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Ajay Aswal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.08.21 14:44:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 9890581